निबंधन संख्या पी0टी0-40





बिहार गजट असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 अग्रहायण 1935 (११०) (सं० पटना 905) पटना, सोमयार, 16 दिसम्बर 2013

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (गव्य विकास)

अधिसूचनाएं

3 दिराम्बर 2013

संo गव्य (यो0−2)01/2003/1509—भारत–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार– राज्यपाल एतद्द्वारा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के बिहार गव्य संवर्ग में भर्ती/प्रोन्नति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

बिहार गव्य संवर्ग मत्ती नियमावली, 2013

अध्याय—1 प्रारम्भिक

- 1. संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्म ।- (1) यह नियमायली " बिहार गच्य संवर्ग भर्ती नियमावली, 2013" कहलायेगी।
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. परिमाबायें 1- इस नियमावली में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार.

- (ख) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है बिहार के राज्यपाल;
- (ग) "सदस्य या संवर्ग के सदस्य" से अभिप्रेत है बिहार गव्य संवर्ग में नियुक्त कर्मी.

(घ) "कोटि" से अभिप्रेत है बिहार गव्य संवर्ग की विभिन्न कोटि :

- (ड.) "संवर्ग" नियंत्री प्राधिकार से अभिप्रेत है निदेशक (मच्य) :
- (च) "विमाग" से अभिप्रेत है, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग,
- (छ) "आयोग" से अभिप्रेत है, बिहार लोक सेवा आयोग / बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।

3. संवर्ग का गठन 1- (1) यह संवर्ग राज्य संवर्ग समझा जायेगा ।

274

बिहार गजट (असाधारण), 16 दिसम्बर 2013

(2) यह संवर्ग पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के प्रशासी नियंत्रणाधीन होगा।

(3) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिरायना प्रकाशित कर पदनाम एवं पदस्तर (वेतनगान) में परिवर्त्तन कर संकेमी।

(4) इस संवर्ग में प्रस्तावित पदों का विवरण इस नियमावली की अनुसूची में दिया गया है।

(5) इस नियमावली के प्रवृत होने की तिथि से अनुसूची के पदों पर नियुक्त / प्रोन्नत पदाधिकारी इस संवर्ग के सदस्य समझे जायेंगे। 4. पद रिधति 1. गढ जंगर जिल्लाका से 1.

पद रिश्वति ।– यह संबर्ग बिहार गव्य संबर्ग वर्ग-III (सगूह –ख), बिहार गव्य संबर्ग वर्ग-II (समूह –ख) एवं बिहार गव्य संबर्ग वर्ग-I (सगूह–क) गे विभक्त रहेगा। वर्ग-III में मूल संवर्ग (Basic Cadre) के पद एवं वर्ग-II.वर्ग-I में प्रोन्नति के सभी पद सम्मिलित रहेंगे एवं संवर्गीय रहेंगे। संबर्ग के विभिन्न पद, उनके वेतनमान एवं नियक्ति प्राधिकार निम्नवत होंगे –

क 0	पदनाम	वेतनमान	ान एव नियुक्ति प्राधि	कार निम्नवत् होंगे –
			श्रेणी∕पदों की संख्या	नियुक्ति प्राधिकार
1	गव्य तकनीकी पदाधिकारी / गव्य क्षेत्र पदाधिकारी (बेसिक कैंडर)	अपुनरीक्षित वेतनमान ₹5,000-8,000 पुनरीक्षित वेतनमान पे बेन्ड ₹9,300-34,800 ग्रेड पे ₹4200/-	तार्ग−3 समूह−ख 82 पद	बिहार–राज्यपाल सचिव ∕ प्रधान राचिव पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
2	जिला गव्य विकास पदाधिकारी / सम कक्ष पद (वर्ग –2)	अपुनरीक्षित वेतनमान ₹6,500-10,500 पुनरीक्षित वेतनमान पे बेन्ड ₹9,300-34,800/ ग्रेड पे ₹4,800/-	चग−2 समूह-ख 22 पद	बिहार–राज्यपाल सचिव⁄प्रधान सचिव पशु एवं मत्स्रा संसाधन विभाग
3	उप निदेशक(गव्य) / क्षेत्रीय उप निदेशक (गव्य) / गव्य अर्थशास्त्री (वर्ग –1)	अपुनरीक्षित येतनमान ₹8,000-13,500/ पुनरीक्षित येतनमान पे बेन्ड ₹9,300- 34,800/- ग्रेड पे ₹5,400/-	चर्ग−1 समूह−ख 5 पद	बिहार–राज्यपाल सचिव∕प्रधान सचिव पशु एवं मत्ऱ्य संसाधन विभाग
4	संयुक्त निदेशक(गव्य) ∕ क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक(गव्य) वर्ग −1 (विशिष्ट कोटि)	अपुनरीक्षित येतनमान ₹10,000-15,200/- पुनरीक्षित येतनमान पे बेन्ड ₹15,600-39,100/ येड पे ₹6,600/-	वग −1 समूह—क 3 पद	बिहार-राज्यपाल सचिव/प्रधान सचिव पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
5	निदेशक (गव्य) वर्ग –1 (अधिकाल वेतनमान)	अपुनरीक्षित वेतनमान₹14,300- 18,300/- पुनरीक्षित वेतनमान पे बेन्ड ₹37,400- 67,000/- ग्रेड पे ₹8,700/-	थर्ग−1 समूह—क 1 पद	बिहार–राज्यपाल सचिव/प्रधान सचिव पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

अध्याय–2 सीधी भर्त्ती

5. रीघी भत्ती हेतु आयु सीमा, अर्हता एवं स्त्रोत ।- (1) अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम यही होगी जो राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर निर्घारित किया जायेगा।

- (2) बिहार गव्य संवर्ग (बेसिक कैंडर) में सीधी गत्ती हेतु अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संख्यान से बीo टेकo (डेयरी टेक्नोलॉजी)/बीo एस सीo (डेयरी टेक्नोलॉजी)/समकक्ष की डिग्री होगी।
- (3) इस संवर्ग की मूल कोटि के सभी पद सीधी मत्ती द्वारा भरे जायेंगे।

रिक्तियों का विनिश्चय एवं आयोग को अधियाचना ।- प्रशासी विभाग प्रत्येक वर्ष 1ली अप्रील को उस वर्ष के इस संवर्ग में सीधी नियुक्ति द्वारा भरी जाने वाली रिवित्तयों की संख्या विनिश्चित करेगा तथा इस प्रकार विनिश्चित रिक्तियों की अधियाचना 30 अप्रैल तक आयोग को भेज देगा। यदि किसी वर्ष में अधियाचना भेजने या सीधी नियुक्ति द्वारा, पद भरने की कार्रवाई नहीं की जाती है, तब भी सीधी नियुवित्त द्वारा भरे जाने वाले पदों की गणना वर्षेवार की जायेगी और उसे अगले वर्ष के लिए, पिछले वर्ष की रिक्ति मानते हुए, अग्रणीत किया जायेगा। आरक्षण ।- राज्य सरकार द्वारा राज्य संवर्गों के लिए समय-रागय पर विहित नियम एवं प्रक्रिया के अनुसार

7. आरक्षण का प्रावधान इस संवर्ग में लागू होगा।

6.

अध्याय -3

वेत्तन एवं दक्षतावरोध

- वेतन ।- विभिन्न कोटियों के पदों का वेतनमान/ग्रेड-पे इस नियमायली की अनुसूची के अनुसार होगा तथा 8. उनके तत्रामान प्रतिस्थापन वेतनमान राज्य सरकार द्वारा समय-रागय पर घोषित किये जायेंगे।
- परिपीक्षा अवधि एवं संपुष्टि ।- (1) किसी मौलिक पद के विरूद्ध परिवीक्षा पर नियुक्त प्रत्येक पदाधिकारी को 9. नियुग्ति की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षा पर रखा जाएगा। परिवीक्षण अवधि में बिपार्ड द्वारा तैयार पाठ्यक्रम के अनुसार ये प्रशिक्षण भी प्राप्त करेंगे। परिवीक्षण अवधि में अपेक्षित प्रशिक्षण पूर्ण करने के साथ-साथ संतोषजनक ढंग से परिवीक्षण अवधि पूरी करने एवं अभेक्षित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरांत ही पदाधिकारी को नियुक्ति प्राधिकार द्वारा संतुष्ट किया जा सकेगा ।

(2) सम्पुष्टि, वार्षिक वेतन वृद्धि एवं प्रोन्नति, विभागीय परीक्षा में उत्तीण होने के पश्चात ही, अनुमान्य होगी। परन्तु इस नियमावली के प्रवृत होने की तिथि के पूर्व नियुक्त इस संवर्ग के सदस्यों पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा।

अध्याय -4

संवर्ग प्रबंधन

- 10. तकनीकी प्रशिक्षण ।- इस संवर्ग के सदस्यों को, तकनीकी प्रशिक्षण के लिए, राज्य में अधवा राज्य से वाहर, राज्य सरकार द्वारा विहित अवधि के लिए भेजा जा सकेगा।
- 11. विमागीय परीक्षा एवं पाठ्यक्रम ।- (1) विभागीय परीक्षा एवं पाट्यक्रम अनुसूची के क्रमांक-11 में उल्लिखित किया गया है।
 - विभागीय परीक्षा रूल्स फॉर डिपार्टमेन्टल एक्जामिनेशन ऑफ गजटेड ऑफिसर्स 1961 के अनुसार केन्द्रीय (2) परीक्षा समिति (राजस्व पर्षद) द्वारा ली जायेगी। विभागीय परीक्षा में उत्तीण होने के पश्चात् ही सम्पुष्टि, वार्षिक वेतन वृद्धि एवं प्रोन्नति की स्वीकृति दी जायेगी।

परन्तुं इस नियमावली के प्रवृत होने की तिथि के पूर्व नियुक्त इस संवर्ग के सदस्यों पर यह प्रावधान लागु नहीं होगा।

- इस नियमावली के प्रवृत होने के उपरांत विभाग द्वारा केन्द्रीय परीक्षा समिति (राजस्व पर्धद)को (3) विभागीय परीक्षा संबंधी पाठयक्रम उपलब्ध करा दिया जायेगा।
- 12. प्रोन्नति ।- (1) अनुसूची के स्तम्भ 12 में उल्लेखित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर उनत अनुसूची के रतम्म 11 में उल्लेखित पदधारकों को प्रोन्नति दी जायेगी।
 - कालावधि (न्यूनतम अर्हक सेवा) वहीं होगी जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय-समय पर, (2) विनिश्चित किया जायेगा।
- अवशिष्ट मामले I- इस संवर्ग के लिए अन्य शर्त्ते यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई, छुट्टी, देय रोवा निवृत्ति लाभ इत्यादि, जो इस नियमावली द्वारा आच्छादित नहीं है या जो इस संवर्ग के लिए पृथकरूप अधिसुचित नहीं है, राज्य सरकार के पदाधिकारियों के लिए प्रासंगिक नियगावली में किये गये संबंधित प्रावधानों से नियंत्रित होंगे।
- कठिनाईयों का निराकरण ।- समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना से यैसी कठिनाईयों का 14. निराकरण किया जा सकेगा जिसके लिए युक्तियुक्त कारण हो।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संतोष कुमार मल्ल. सरकार के राचित।

	·		1			31	नुसूची			-		
OFF OFF.	सवर्ग∕ पट का नान	पदौं की संख्या	दर्गीकरण	येतन च न	प्रयत्वा पद भाषता सप्रयत्वा पद	सीबी मनी हेतु जूनतन एवं अधिकतन आयु	सोधी पत्ती हेतु न्यूनतन साग्यताए	परियोका अवधि	सती को पदाते	मोनाते/ वात्तातत्व इतत तित्त पद सरे जन हो तिर्धाते में भे येव-बाते तिस्ता मेनालि/ 	प्रमान्तर क्य जना ह। विमानीय झान्नति समिति	पारी देवीयों जिनमें जिसार सोक सेवा आयोग से परानरी लिसा जाना हो।
1	2	з	4	5	6	7	8	9	1,0	11	12	13
-	गय्य तकनीको पदाधिकारी∕गय्य क्षेत्र प्रदाधिकारी (घैसिक कैंडर)	. 28	संवर्गीय समूह "ख"	अपुनरीक्षित वेतनमान रॅं5,000-8,000/- पुनरीक्षित वेतनमान ये 4ेन्ड रॅं9,300-34,800/- ग्रेड वे र्रे4,200/-	এয়েবংব্য বহ	न्यूततम 2।-वर्ष एव अधिकतन वहीं होगा जो राज्य तरकार द्वारा तमय-सम्य पर निर्धाति किया जाय। सरकारी कर्मधारियों क अधितम आयु में घूट दी जा सकती है। टिप्पणी - आयु की सीमा निर्धारण के लिए कट -ऑफ -ठेट । अगस्त होगा।	मान्यता प्राप्त विवर्तिचातय/संस्थान से बीठ टेका (डेयरी टेकनोलॉजी) / बींधएसधरीए (डेयरी टेकनोलॉजी) / समक्वस की डिप्री।		सीची नियुक्ति	1		प्रस्न हो नहों उदता है।
	जिला गय्य विकास पदाप्यिकारी/ , समक्कत पद (वर्ग –2)	ß	संवर्गीय लगूह "ख"	ਘਤੂनਹੀਲਿਕ ਬੇਸ਼ਰਜ਼ਾਰ ₹6,500/-10,500/- ਯੂਰਸੈਲਿਕ ਬੇਨਰਜਸਰ ਖੇ ਫੋन्ਡ ₹9,300-34,800/- ਸ਼ੇਡ ਖੇ ₹4,800/-	अप्रवरण पद		1		म्रोन्नति द्वास	प्रॉन्चति सरकारी नियनों का पातन करते हुए गय्य तकनीकी परΩ ∕ गय्य क्षेत्र प्रदाधिकारी के तच्याँय परधारकों से उतीपता सह सुयोग्यता के अधार पर दी जायेगी।	दिहार लोड तथा आथान की अनुराता के आलोक में प्रोन्तति दी आवेग्यों (दिवसे निम्बलिटिंस कदन्त होंगे- - लोक देश आयोग के अव्यक्ष या मनोतित सदस्य - अव्यक्ष - विनागि सविंध भावित या अपर सविंय - सदस्य 2- विनाग होता में भावित - मदस्य 4- कॉर्निंक विमाग हारा मनोतित अनुसुधित जाति / जन आति के प्रतितिधे - सदस्य 5- दिरेसक (गव्य) - सदस्य	प्रस्न को नहीं चटता है।

7

बिहार गजट (असाधारण), 16 दिसम्बर 2013

۰.

4

-'?

प्रोन्नति सरकारी नियनों का पालन करते हुए उप निदेशक(गव्य)∕ क्षेत्रीय उप–निदेशक(गव्य) ∕गव्य अर्थशास्त्री के संवर्गीय पत्त्यारकों से दरीवता सह सुयोग्यता के अवार पर दी जायेगी। अपुनरीक्षित 5) कार्मिक विमाग के एक पदा0 –सदस्य 6) कार्मिक एवं प्रसारसनिक नुर्चार विमाग 1) कृषि उत्पादन आयुक्त – अप्यल 2) प्रधान लषिष सहकारिता विमाग – सदस्य 3) प्रयान संविध/ संबिध पगु एवं मल्प संसम्भन विमाग – सदस्य विमागीय प्रांचति समिति की अनुरांसा के आवार पर प्रांचति दी जाएगी। विमागीय तपुक्त निरंशक(गम्म)/ देत्रीय तपुका निरंशक(गम्म) देतनमान ₹10,000-15,200/- पुनरीसित देतनमान दे द्र-ड ₹15,600-द्वारा मनोनीत अनु० जाति/ जनजाति / के पदा0 –सदस्य प्रयान तथिष, वन एवं पर्यावरण विभाग – सदस्य प्रोन्गति समिति में निन्नतिखित सदस्य होंगे। -39,100/- tra t ₹6,600/-तवगीय तमूह "क" (राजपत्रित) দ্যান চী নচী ততনা है। प्रोन्ती दारा अप्रवरण पद I I ω ۱ * वर्ग -1 (विशिष्ट कोटि) • 2) प्रयान सचिव, सहकारिता किमाग – सदस्य 3) प्रयान सचिव/सचिव पद्यु एवं प्रतन्त संसादन प्रोन्नति सरकारी नियमें का पालन करते हुए जिला गय्य विकास पर्याधकारियों / सन्दर्स परो के संवर्गीय परयारकों से वरीयता चह सुयोग्थता के ज्यार पर दी जायेगी । अपुनरीकित वेतनमान रै8,000-15,200/- पुनरीकित वेतनमान वे बैन्ड रै9,300-34,800/-5) कार्मिक विभाग के एक पटा – सदस्य 6) कार्मिक एवं प्रयासीनेक सुवार किली हाल विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुरांसा के आधार पर प्रोन्नति दी जाएगी। दिनागीय जान्तति . तमिति में निम्नतिष्ठित सदस्य होगे :- 1) कृषि वरपारन आयुक्त - अस्ट विमाग - सदत्य 4) प्रधान त्तविष्टन एवं पर्यावरण विमाग - तटत्व उपनिदेशक (गय)/ क्षेत्रीय उपनिदेशक (गय)/ गव्य अर्थसान्त्री (दर्ग -1) मनोनीत अनुष्ठ जाति/ जनजाति / के पर्रष्ठ - सरस्य • संदर्गाय समूह 'च' (राजपीवत) ź मान ही नहीं उठता है। tra 4 ₹5,400/-प्रोनति हारा 300000 42 ۱ ۱ ŝ w

2013 70-11-11 (JULINIAIL) 16 2414-44 2013

.

s

5 निदेशक(गण्ड) जर्ग –₁ (अधिकाल ोलनग्रन) 1		अपुनगिक्ता वेतान्तान र14300-13300/- पुनगैक्ति वेतानगन द वेन्द्र र37400. 67000/- वेन्द्र से र8700/-	अधावतत्मा दाद		,	1		जिमानीय मधुजन निरोधाक(गाथ)/अभीय मधुजा (मेरीका(गव्य) अ परवारको स वरीवता मह मुर्थान्यता के आवार पर प्रोम्मही। ही - आवनी।	वेहार तरेव मेज आधेग के अनुशंस के आत्मेंक से आत्मेंने रो जातेगी। कितने हित्ताहित्वास सरस्य होग - तत्क सद्य आदीग के अधिक या स्वतीने सहस्य - अदास - विमानीय सहित के अधिक या अत्य संख्या - महत्य - वासिक विमान के अधिकोंके - महत्य - वासिक विमान के अधिकोंके - महत्य - वासिक विमान के अधिकोंके - महत्य	मान के मही ततना छ
---	--	--	---------------	--	---	---	--	--	--	-------------------

बिहार-राज्यपाल के आदेश रो

संतोग कुमार मल्ल

सरकार के सनिव।

The 3rd December 2013

No. गत्य (यो0-2)01/2003/1509-In exercise of the powers conferred under proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following rules to regulate the recruitment and promotion to the Bihar Dairy Cadre of the Animal & Fisherics Resources Department:-

The Bihar Dairy Cadre Recruitment Rules, 2013 Chapter - Preliminary

Short title, extent and commencement.-(1) These Rules may be called The Bihar Dairy Cadre Recruitment Rules, 2013;

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar;

(3) It shall come in to force at once. 2.

1.

6

Definition .- In these Rules, unless otherwise requires in the context-"State Government" means The State Government of Bihar; (a)

"Governor" means Governor of Bihar; (b)

(c)

"Member or Member of the cadre" means an employee appointed in the Bihar Dairy Cadre: (d) · "Category" means different categories of The Bihar Dairy Cadre;

"Cadre Controlling Authority" means The Director (Dairy);

(f)

"Department" means Animal & Fisheries Resources Department; (g)

"Commission" means Bihar Public Service Commission/Bihar.State Staff Selection Commission, Patna, Constitution of Cndre. - (1) This cadre shall be deemed to be a state cadre. 3.

(2) This cadre shall be under administrative control of The Animal & Fisheries Resources Department. (3) The State Government may change the designation and level of post (Pay Scale).

(4) The details of the Proposed Posts in this cadre are given in the schedule to these Rules.

(5) After commencement of these Rules the officers/employees appointed or promoted

4.

-

to the posts of mentioned in the schedule to these Rules shall be treated as a member of this cadre from date of the commencement of these Rules. Status of the Posts.- This cadre shall be divided in Bihar Dairy Cadre

Class III (Group-B), Bihar Dairy Cadre Class-II (Group-B) and Bihar Dairy Cadre Class-I (Group-A). Posts of Basic Cadre, and all posts of promotion shall included in Class-III. Class-II & Class-I and their Pay scale and Appointing Authority shall be

S. No.		, ay scale	Grade and number, o		appointing	
3 1 (((((((((((((((((((Dairy Technica Officer/Dairy Field Officer(Basic Cadre) District Dairy Development Officer/Equivale t Post (Class-II) Deputy Director Dairy)/Regional Deputy Director Dairy)/ Dairy Sconomist Class-I Dint Director Dairy) Regional/ int Director Dairy) Regional/ int Director Dairy) rector (Dairy) mettor (Dairy) Sconomist Class-I Dint Director Dairy) Particular tegory) rector (Dairy) Stars-I Director (Dairy) Dass-I Ippertime	₹5,000-8,000/- Revised Pay Scale Pay Band ₹ 9,300-34,800/- Grade Pay- ₹ 4,200/ Unrevised Pay Scale	Class-I Group-A 3 Posts	Per, of sts III B S S S S S S S S C S C S C S C S C S C	Authority Authority Governor of Bihar Secretary/Principal & Fisheries Resources Department. Governor of Bihar Secretary/Principal Secretary/Principal Secretary/Principal eretary/Principal retary/Principal retary/Principal retary/Principal retary, Animal Sources partment. Vernor of Bihar retary/Principal retary, Animal Sources partment. Sources artment.	
Sca		Pay Band ₹ 37,400-67,000/- Grade Pay₹ 8,700/-	One Posts	& Fis Resor	etary, Animal sheries	

Chapter-2

Direct Recruitment

5.

Age limit, qualification and sources for Direct Recruitment.-(1) Minimum age of The Candidates will be 21 years and maximum will be the same which shall be

decided, from time to time, by General Administrative Department of the State Government.

- (2) Qualification for the direct recruitment in Bihar Dairy cadre (Basic cadre) will be B.Tech. (Dairy Technology)/B.Sc. (Dairy Technology)/Equivalent degree from any recognized University/Institute.
- (3) All Posts of Basic category of this cadre will be filled by Direct Recruitment
- 6. Determination of Vacancies and Requisition to The Commission.- Every year on 1st April, the Administrative Department will determine the number of Vacancies to be filled up by direct recruitment in this cadre in that year and department will send the requisitions of vacancies to the commission up to 30th April. If in any year, action of sending requisition and filling Posts by direct recruitment is not taken, calculation of Posts to be filled up by direct recruitment will be made year wise and it will be carried forward for coming year treating the vacancies of last year.
- Reservation.- Provisions of Reservation shall be applicable to this cadre according to the prescribed Rules and Process for the state cadre prescribed, from time to time, by the State Government.

Chapter-3

Pay and Efficiency bar

- Pay.- Pay scale/Grad pay of different Posts of different Categories will be according to the Schedule of These Rules and Substituted pay scale of equal there to will be declared, from time to time, by the State Government.
 Probation Period and Confirmation Field for the Schedule of Confirmation Field fo
- 9. **Probation Period and Confirmation.-** Each officer appointed on probation against any basic post shall be placed on probation for two years from the date of appointment. According to the courses prepared by BIPARD, they will get training also. The officers, completing the required training in probation period along with completing the probation period satisfactorily and after passing the required Departmental Examination, may be confirmed by the Appointing Authority.
- (2) Confirmation, annual increment and promotion will be admissible only after passing the Departmental Examination, Provided that This Provision will not apply to those members of the cadre appointed prior to the commencement of these Rules.

Chapter-4

Cadre Management

- Technical Training.- Members of this cadre will be sending within the state or out of the state for the period, prescribed by the state government for technical training.
 Departmental Examination and courses are government for technical training.
- Departmental Examination and courses study. (1) Departmental Examination and Courses of study are mentioned in serial Number 11 of schedule.
- (2) Departmental Examination will be held by Central Examination Committee according to the Rules for the Departmental Examination of Gazetted Officers, 1961. Confirmation, annual increment and promotion will be allowed only after passing the Departmental Examination Provided that this provision will not apply to the members of this cadre appointed prior to the commencement of these Rules.
- (3) After the commencement of these Rules, Courses of study relating to the Departmental examination will be provided to the Central Examination Committee (Revenue Board).
- Promotion. (1) On the recommendation of Departmental Promotion Committee mentioned in column 11 of schedule, promotion will be given to Post holders mentioned in column 10 of the said schedule.

US

बिहार गजट (असाधारण), 16 दिसम्बर 2013

- (2) Kalawadhi (minimum qualifying service) will be same which may be decided by The General Administrative Department from time to time.
- 13. Residual Cases.- Other conditions for this cadre, namely Disciplinary action, Leave, Admissible Pensioner Benefits etc which are not covered by these Rules or which are not notified for this cadre separately, will be controlled by the Provisions concerned made in the relevant Rules for the officers of the State Government.

 Removal of difficulties.- Such Difficulties may be removed by notification, made by the State Government for which there may be reasonable reason.

By order of the Governor of Bihar, SANTOSH KUMAR MALL, Secretary to Government.

		1	-		1		Schedu	le				
20	Cadre/ Name of Post	No of Post	Classification	Pay scale	Prawaran Post or non prawaran	Minimum and Maximum age for Direct Regriment	Minimum Qualifications for Direct Recruitment	Probation Period	Method of Recruitment	In case of filling the vacant post by promotion/ Transfer. The grads- source from which promotion/ transfer has to be made	Departmental Promotion committee	Circumstances in which BPSC has to be consulted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Dairy Technical officer/ Dairy Field officer (Basic cadre)	82	Cadre group B	Unrevised pay scale Rs. 5,000-8,000/- Revised pay scale Pay Band Rs. 9,300-34,800/- Grade Pay- Rs. 4,200/-	Non Prawaran Post	Minimum 21 years and Maximum will be such as may be decided by the state government from time to time. Relaxation in Maximum age for government employees may be given. Note - Ist August will be cut off date for determination of age limit	Degree of B. Tech (Dairy Technology)/ B.Sc (Dairy Technology)/ Equivalent degree from Recognised University/ Institution		Direct Recruitment			Question does not arise

9